

राजस्थान -- सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार -- कल्याण सेवार्यें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : सामान्य/राजपत्रित/09/ 310

दिनांक : 04/08/09

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
राजस्थान।

विषय :- चिकित्सकों को प्रशिक्षण हेतु समय पर कार्यमुक्त करने बाबत।

सन्दर्भ :- निदेशक, राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान जयपुर का पत्र  
क्रमांक 1778-79 दिनांक 16.07.08 के क्रम में।

प्रायः यह देखा गया है कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर चिकित्सकों को प्रशिक्षण हेतु मनोनीत किया जाता है, उन चिकित्सकों को आप द्वारा समय पर कार्यमुक्त नहीं किया जाता है। इस कृत्य को गम्भीरता से लिया गया है। अतः जिन चिकित्सकों को प्रशिक्षण में मनोनीत किया जाता है, उन चिकित्सकों को आप समय पर कार्यमुक्त करना अपने स्तर से सुनिश्चित करें तिरासे वि वे समय पर निर्धारित दिवस को ही उपस्थिति प्रस्तुत कर सकें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक :

क्रमांक : सामान्य/राजपत्रित/09/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें, राजस्थान।
3. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इन्स्टीट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के मास, जयपुर को उनको सन्दर्भित पत्र के क्रम में।
4. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को इन्टरनेट पर अलवाने की व्यवस्था करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें,  
राज० जयपुर।